



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7476

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43627 / 2025

जावेद एवं अन्य

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक पक्ष के अधिवक्ता

: कमलेश कुमार सिंह, विवेक कुशवाहा

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री कमलेश कुमार सिंह, आवेदकों के विद्वान् अधिवक्ता एवं राज्य-विपक्षी के लिए श्री पूनीत कुमार सिंह, विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदकगण जावेद एवं कमालुद्दीन की ओर से दाखिल किया गया है जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 199/2025, गोवध निषेध अधिनियम की धारा 13/5क/5ख/8 एवं पशु क्रूरता (संरक्षण) अधिनियम की धारा 11, थाना चकिया, जिला चंदौली में विचाराधीन मुकदमे के दौरान जमानत हेतु प्रार्थना की गई है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष हैं। उन्हें उक्त मुकदमा अपराध संख्या में झूठा फँसाया गया है और वे दिनांक 07.10.2025 से कारागार में निरुद्ध हैं। आवेदकों के अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त चुनमुन को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 39348, 2025 में, आदेश दिनांक 24.11.2025 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक संख्या 1 के विरुद्ध दो आपराधिक प्रकरणों के आपराधिक पूर्ववृत्त का उचित स्पष्टीकरण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में दायर शपथपत्र के पैरा संख्या 13 में दिया गया है, जबकि आवेदक संख्या 2 का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। साथ ही, उनके न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

विपरीत पक्ष के विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया किंतु उक्त समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त को जमानत मिलने के तथ्य पर विवाद नहीं कर सका।

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि पर दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों से छेड़छाड़ का उचित भय, प्रथम दृष्टया मामला-मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना-पर विचार करते हुए जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

उक्त मुकदमा अपराध संख्या में लिप्त अभियुक्त-आवेदकगण जावेद एवं कमालुद्दीन को जमानत पर रिहा किया जाए बशर्ते वे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु एक-एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो-दो विश्वसनीय जमानतदार नाममात्र राशि के प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देंगे तथा मुकदमे में सहयोग करेंगे।
4. आवेदक परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित उपस्थित होंगे जब तक व्यक्तिगत हाजिरी अधिवक्ता के माध्यम से छूट न मिल जाए।

यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है तो अधीनस्थ न्यायालय जमानत रद्द करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

12 जनवरी 2026

दीपक/

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।